राजस्थान सरकार निदेशालय पेंशन एवं पेशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः—प. 5 (294) निपेवि/नियम/2017 1511-80H **दिनांकः** 08-11-2017

1. कोषाधिकारी (समस्त)
...............................राजस्थान
2. महालेखाकार (लेखा एवं हक)
राज.जयपुर।

विषयः—01.10.2017 से पूर्व सेवानिवृत /मृत राजस्थान राज्य के पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स की पेंशन/पारिवारिक पेंशन में संशोधन बाबत।

संदर्भः— वित्त (नियम) विभाग, जयपुर का ज्ञापन क्रमांक एफ 12 (6) एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ज्ञापन की प्रति संलग्न कर लेख है कि उक्त ज्ञापन के पैरा संख्या 13 में पेंशन वितरण अधिकारी अर्थात कोषाधिकारी/कोषाधिकारी पेंशन को पेंशन/परिवारिक पेंशन संशोधन हेतु अधिकृत किया गया है।

सम्बंधित पेंशन भुगतान अधिकारी (कोषाधिकारी/कोषाधिकारी पेंशन) पेंशन निर्धारण हेतु अधिकृत संबंधित बैंक से निर्धारित प्रपत्र में पेंशनर का आवेदन एवं पीपीओ/एफपीपीओ का पेंशनर्स भाग मय कोषालय का भाग प्राप्त करें तथा राज्य सरकार द्वारा जारी ज्ञापन दिनांक 30.10.2017 के अनुसार संशोधन कर बैंक को वापस लौटावें। तत्पश्चात् सम्बंधित बैंक द्वारा पेंशनर का भाग संबंधित पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर को वापस लौटाया जायेगा। पेंशनर्स को अपनी पेंशन/पारिवारिक पेंशन संशोधन हेतु निर्धारित आवेदन पत्र मय पीपीओ/एफपीपीओ के पेंशनर भाग सम्बंधित बैंक शाखा अथवा सम्बंधित कोषाधिकारी/कोषाधिकारी पेंशन के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

राजस्थान राज्य के पेंशनर्स की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का संशोधन राज्य सरकार के संदर्भित ज्ञापन दिनांक 30.10.2017 के बिन्दु संख्या 4.1 के अनुसार निर्धारित करने का श्रम करावें। अतः आपसे अनुरोध है कि 7 वें वेतन आयोग के अन्तर्गत उक्त ज्ञापन के तहत किये गये पेंशन/परिवारिक पेंशन के संशोधन का अंकन पेंशन /पारिवारिक पेंशन भुगतान आदेश के दोनो भागों में करके अपने हस्ताक्षरों से प्रमाणित करना सुनिश्चित करावें। संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के गणना पत्र की प्रति सम्बंधित पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर को भी दी जावे। साथ ही ज्ञापन के बिन्दु संख्या 13 (2) की पालना विशिष्ट रूप से सुनिश्चित की जावे।

संलग्नः— ज्ञापन दिनांक 30.10.2017 की प्रति

भवदीय
(परमेश्वरी चौधरी)
निदेशक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (नियम) विभाग, राज. जयपुर को उनके ज्ञापन एफ (12) एफ.डी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 के क्रम में।
2. निदेशक, कोष एवं लेखा, राज. जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि कृपया अपने अधीनस्थ समस्त कोषाधिकारयों /उप कोषाधिकारियों को उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित करने का श्रम करावें।
3. अतिरिक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग क्षे. का ....(राज.)
4. पेंशन वितरण हेतु अधिकृत समस्त बैंक..
5. उपनिदेशक/एसीपी कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा, को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. संयुक्त/सहा./उपनिदेशक, समस्त अनुभाग ....कार्यालय हाजा।
7. निजी सचिव/निजी सहायक (कार्यालय हाजा)

संलग्नः— ज्ञापन दिनांक 30.10.2017 की प्रति

निदेशक

C:\Users\india\Desktop\JAIRAJ\Rules Letter.docx317